संसं0–7/बजट–46–14/2026– 278(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 07/08/2026

विषयः– सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यो हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पाँच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 55,00,00,000/–(रुपये पचपन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय तथा अन्य संबद्ध विविध कार्यो हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पॉच सौ अडसठ करोड चौरासी लाख) की योजना की विभागीय स्वीकृति राज्यादेश संख्या–810(1), दिनांक–28.08.2020 के द्वारा दी गयी है।

2– Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026–27 Under Part-III अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक–No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Bihar, दिनांक–29.07.2026 द्वारा इस योजना हेतु रू० 55.00 करोड मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत्यादेश संख्या–No.44(1)/PF-S/2026-27(CAPEX)-Part-III-SACE-6, दिनांक–29.07.2026 के माध्यम से राशि विमुक्त की गयी है। तद्क्रम में वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के द्वारा SASCI 26-27 Part-III हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप भारत सरकार द्वारा स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 55.00 करोड मात्र के व्यय की स्वीकृति दिये जाने का निर्देश दिया गया है।

3– भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से अबतक प्राप्त आवंटनादेश एवं अबतक विभागीय स्तर पर स्वीकृत एवं निर्माण एजेन्सी (BMSICL)को आवंटित राशि की विवरणी निम्नवत् है :–

Sl. No.	GoI Sanction N0. & Date	Dept. Order No. & Date	Central Shares	State Shares
1.	U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(1), 24-06-21 U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(2), 24-06-21 U.14017/22/2015-ME-IIFTS-8030201(3), 24-06-21	02(7)ब, Dtd-03.08.2021	87,71,00,000	23,80,00,200
2.	-	332(7), Dtd-21.02.2022		34,67,00,000
3.	-	334(7), Dtd-28.11.2023	62,29,00,000	25,00,00,000

4.	-	457(7), Dtd-30.01.2024		16,53,00,000
	कुल योग		1,50,00,00,000	1,00,00,00,200

4– इस योजना हेतु अब तक राज्य योजना मद से आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है।

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एवं दिनांक
1	2023–24	25,00,00,000	सं0–197(7), दिनांक–28.08.2023
2	2023–24	20,00,00,000	सं0–637(7), दिनांक–14.03.2024
3	2024–25	40,00,00,000	सं0–499(7), दिनांक–10.03.2025
4	2025–26	10,00,00,000	सं0–94(7), दिनांक–19.06.2025
5	2025–26	14,00,00,000	सं0–126(7ए), दिनांक–20.03.2026
5	2025–26	15,00,00,000	सं0–129(7ए), दिनांक–20.03.2026
	कुल–	**1,24,00,00,000**	

5– उक्त परिप्रेक्ष्य में सीवान जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास के भवन निर्माण, मशीनें एवं उपस्करों के क्रय एवं अन्य सम्बद्ध विविध कार्यों हेतु, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल रु० 568,84,00,000/– (रुपये पॉच सौ अड़सठ करोड़ चौरासी लाख) की लागत से स्वीकृत योजना के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026—27 Under Part-III" अंतर्गत स्वीकृत एवं विमुक्त राशि रु0 55,00,00,000/–(रुपये पचपन करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभागीय राज्यादेश सं0–810(1), दिनांक–28.08.2020 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7– इस राशि के व्यय का वहन मॉग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष--789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–01–मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9– वित्त विभागीय पत्र संख्या–632/वि०, दिनांक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या–10792/वि०, दिनांक–06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2026-27" के लिए पूंजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी० एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए दूसरे दिन राशि को बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) पी० एल० खाता में हस्तान्तरित राशि को दूसरे दिन वित्त विभाग के पत्रांक–910/वि0, दिनांक–30.07.2026 के कंडिका 05 के अनुसार राशि के व्यय हेतु AXIS Bank खाते में हस्तान्तरित कर SASCI 26-27 Part-III के दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

10– वित्त विभागीय पत्रांक–910/वि०, दिनांक–30.07.2026 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी० एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

11— यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक—06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक—08.04.08, 3758/वि0, दिनांक—31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12— प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13— प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0—सं0सं0—7/बजट—46—14/2026 के पृष्ठ—63/टि0 पर प्राप्त है।

14— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। इस संदर्भ में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

15— यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

7.8.26

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—7/बजट—46—14/2026— 978(7A) /स्वा0, पटना, दिनांक— 07/08/2026

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, सारण (छपरा)/जिला पदाधिकारी, सीवान/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई—मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

7.8.26

सरकार के अपर सचिव